

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1168/2013/उदयपुर  
मैसर्स एस्ट्रा डायमण्ड टूल्स कम्पनी प्रा.लि.  
उदयपुर

अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी  
वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर  
2. सहायक आयुक्त,  
विशेष वृत, उदयपुर

प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष  
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री अभिषेक अजमेरा  
अभिभाषक  
श्री डी.पी.ओझा  
उप राजकीय अभिभाषक  
निर्णय दिनांक 08.09.2016

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 50/वैट/12-13/उदयपुर में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें उन्होंने, सहायक आयुक्त, विशेष वृत, उदयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 24(3) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 20.01.2010 के अन्तर्गत कर रू. 4,19,900/- व शास्ति रू. 2,68,730/- आरोपित किया है, को यथावत रखा है, जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।


प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी कम्पनी के वर्ष 2004-05 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.10.2006 को अधिनियम की धारा 29(4) के अन्तर्गत स्वः कर निर्धारण योजना के तहत पारित किया गया था। व्यवहारी कम्पनी द्वारा आलोच्य अवधि में डायमण्ड स्टील स्ट्रीप ब्लेड राज्य के बाहर से एफ फार्म के समर्थन पर विक्रयार्थ आयात किये जाकर रू. 3,74,55,442/- का विक्रय किया गया। उक्त राशि में से रू. 3,23,40,380/- का इसी वस्तु डायमण्ड सिग्मेन्ट्स स्टील स्ट्रीप ब्लैक का विक्रय 4 प्रतिशत की दर से घोषणा पत्र एस टी 17 के समर्थन पर रियायती दर से किया गया था और इस राशि के घोषणा पत्र एस टी 17 बाद में प्रस्तुत कर दिये जाने से अन्तर कर एवं मांग क्रमशः दिनांक 14.03.2008 एवं 03.09.2008 को कम की गई है। शेष विक्रय रू. 41,98,997/- इसी वस्तु का 4 प्रतिशत की पूर्ण कर दर से किया गया जबकि इस वस्तु पर कर दर 14 प्रतिशत मानकर कर निर्धारण अधिकारी ने उस पर अन्तर कर दर 10 प्रतिशत की दर से कर रू. 4,19,900/- व उक्त कर

जमा नहीं कराने के कारण ब्याज रू. 2,68,730/- आरोपित करते हुए कुल रू. 6,88,630/- की मांग सृजित कर आदेश दिनांक 20.01.2010 पारित किया, जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग को यथावत रखते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2013 पारित कर व्यवहारी कम्पनी की अपील अस्वीकार कर दी।

अपीलार्थी व्यवहारी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी कम्पनी द्वारा आयरन स्ट्राल्स का विक्रय किया गया है जो आयरन स्क्रैप की श्रेणी में आती है, जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे केन्द्रीय अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 14 के अन्तर्गत घोषित वस्तुओं की श्रेणी में आती है, इसलिए उस पर 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल करके राजकोष में जमा कराया गया है, किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत वस्तु को मशीनरी का पार्ट मानते हुए उसको 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए अन्तर कर दर 10 प्रतिशत से कर रू. 4,19,900/- व उस कर को अदत्त मानते हुए ब्याज रू. 2,68,730/- आरोपित किया गया है, जो उचित नहीं है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज को यथावत रखा है, जो अनुचित है।

उनका यह भी कथन है कि व्यवहारी कम्पनी द्वारा आयरन स्ट्रीप्स गेंगसा ओनर को बेचा है और गेंगसा ओर उसमें डायमण्ड बिट्स लगाकर मार्बल के व्यवसायी उसको काम में लेते हैं तक वह गेंगसा के पार्ट के रूप में काम में आता है। उनका कथन है कि व्यवहारी कम्पनी डायमण्ड सेगमेन्ट एवं स्टील स्ट्रीप्स सेगमेन्ट का व्यवसायी करती है, व्यवहारी कम्पनी द्वारा डायमण्ड सेगमेन्ट के सम्बन्ध में फार्म डी प्रस्तुत कर दिये गये हैं और स्टील स्ट्रीप्स जो आयरन स्क्रैप है उस पर 4 प्रतिशत की दर है जिसको उन्होंने 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए कर एवं ब्याज आरोपित किया गया है, जो विधि के विरुद्ध है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अविधिक बताते हुए उन्हें अपास्त कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।


प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी के लिए व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत एस टी 5ए में कुल विक्रय रू. 3,74,55,442/- दर्शाया गया है जिसमें एस टी एफ पर रू. 9,16,055/-, एस टी 17 के समर्थन में 4 प्रतिशत की दर से रू. 3,23,40,380/- व आरएसटी की विक्रय रू.



41,98,997/-दर्शायी गयी है। उनका कथन है कि व्यवहारी कम्पनी द्वारा समस्त माल डायमण्ड गैंगसा स्टील स्ट्रीप्स ब्लेड का विक्रय किया गया है, जो राज्य के बाहर से विक्रय हेतु एफ फार्म पर आयात किया गया है। उनका कथन है कि उक्त प्रकार से बिक्रीत समस्त माल एक ही प्रकृति यानि डायमण्ड गैंगसा स्टील स्ट्रीप्स ब्लेड है और इस एक ही वस्तु को 4 प्रतिशत की दर से एस टी 17 पर रियायती कर दर से विक्रय गैंगसा ओनर्स को विक्रय किया है और आर एसटी पर भी बिना एस टी 17 के पूर्ण कर दर मानते हुए गैंगसा को ही विक्रय किया गया है। उनका कथन है कि जिस राशि के एस टी 17 प्रस्तुत कर दिये गये उनके सम्बन्ध में संशोधित आदेश 14.03.2007 एवं 03.09.2008 को पारित कर अतिरिक्त मांग कमी की गई है। उनका कथन है कि व्यवहारी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत एस टी 5ए में आरएसटी की विक्रय रू. 41,98,997/-दर्शायी गयी है, जिसके समर्थन में एस टी 17 प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी कम्पनी को नोटिस जारी किया गया, जिसकी पालना में प्रस्तुत उत्तर को सन्तोषप्रद नहीं मानते हुए उक्त विक्रय पर 10 प्रतिशत की दर से अन्तर कर आरोपित किया है, जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को विधिक बताते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार आलोच्य अवधि में व्यवहारी कम्पनी द्वारा डायमण्ड सेगमेन्ट्स एवं स्टील स्ट्रीप्स का क्रय विक्रय कारोबार किया गया है। डायमण्ड सेगमेन्ट्स का विक्रय आरएसटी में 4 प्रतिशत की दर से एस टी 17 के समर्थन पर देय रियायती कर दर 4 प्रतिशत से किया गया है, और, स्टील स्ट्रीप्स के विक्रय पर आरएसटी में 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने स्टील स्ट्रीप्स के विक्रय पर देय आरएसटी 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल किये जाने को उसे मशीनरी का पार्ट मानकर उसको 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए स्टील स्ट्रीप्स की बिक्री राशि रू. 41,98,997/-पर अन्तर कर दर 10 प्रतिशत से कर रू. 4,19,900/- एवं उसको अदत्त मानते हुए ब्याज रू. 2,68,730/-आरोपित किया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी कम्पनी द्वारा आलोच्य अवधि में डायमण्ड सेगमेन्ट्स का विक्रय आरएसटी में 4 प्रतिशत की दर से एस टी 17 के आधार पर देय रियायती कर दर 4 प्रतिशत से किया गया है, और, स्टील स्ट्रीप्स के विक्रय पर देय आरएसटी में 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया है। आयरन एवं स्टील स्ट्रीप्स केन्द्रीय अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत





घोषित वस्तु की श्रेणी में आता हैं। केन्द्रीय अधिनियम की धारा 14(vi) निम्न प्रकार है :-

"(vi) sheets, hoops, strips and skelp, both black and galvanized, hot and cold rolled, plain and corrugated, in all qualities, in straight lengths and in coil form, as rolled and in revetted condition;"

अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश में यह तो माना है कि व्यवहारी कम्पनी आयरन स्ट्रीप्स बेची है किन्तु प्रश्नगत प्रकरण में उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी की इस साक्ष्य रहित व्याख्या को स्वीकार कर लिया कि व्यवहारी ने स्टील स्ट्रीप्स को स्वतंत्र रूप से न बेचकर डायमण्ड सेगमेन्ट से सम्बद्ध करके गैंगसा पार्ट के रूप में विक्रय किया है। स्पष्ट है कि उन्होंने प्रकरण के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर व्यवहारी द्वारा कम्पनी द्वारा बिक्री माल आयरन स्ट्रीप्स को गैंगसा का पार्ट होना प्रमाणित करने का मिथ्या प्रयास किया है। अपीलीय अधिकारी को चाहिए था जो वस्तु जिस प्रकार से बेची गयी उसे उसी रूप में देखना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में देखने पर विधिक नहीं है। अतः कर निर्धारण अधिकारी व अपीलाधीन आदेश का अपास्त करते हुए व्यवहारी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
(सुनील शर्मा)  
सदस्य

  
(खेमराज)  
अध्यक्ष